भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1574
दिनांक 13 फरवरी, 2025

पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और कराधान में असमानता

†1574. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में हुई गिरावट, जो पिछले छह महीनों के दौरान लगभग 30 प्रतिशत कम हुई है, के अनुपात में कमी नहीं आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पेट्रोल और डीजल पर वर्तमान में लगाए जा रहे उत्पाद शुल्क (पेट्रोल पर 32.9 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.8 रुपये प्रति लीटर) और अलग-अलग राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) (15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक) की प्रतिशतता क्या है और किस तरह यह वैश्विक और घरेलू ईंधन कीमतों के बीच असमानता में योगदान देता है;

(ग) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और राज्य करों, जो वर्तमान में ईंधन की खुदरा कीमत का 60 प्रतिशत से अधिक है, को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ताकि वैश्विक मूल्य में गिरावट प्रतिबिंबित हो सके और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके; और

(घ) क्या सरकार ईंधन की कीमतों को विशेष रूप से चुनाव अवधि के दौरान कम करने के राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का किस प्रकार इसे उपभोक्ता कल्याण के साथ संतुलित करने का विचार है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में विभिन्न कारकों जिसमें कच्चे तेल के मूल्य, अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनिमय दरों, कर अवसंरचनाओं, अंतर्देशीय माल-भाड़ा, बीमा आदि शमिल हैं, के आधार पर निर्णय लेती हैं। भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनाव तथा उप-चुनाव करवाता है। पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य चुनाव सारणी से नहीं जुड़े हैं।

वर्तमान में, 19.90 रुपए प्रति लीटर तथा 15.80 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क क्रमश: पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया वैट एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होता है तथा ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। दिनांक 07.02.2025 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों पर कर तथा शुल्क संबंधी हिस्सा निम्नवत है:

दिनांक 07.02.2025 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल आरएसपी में कर का हिस्सा				
विवरण	**पेट्रोल**		**डीज़ल**	
	रु./लीटर	**आरएसपी में %**	**रु./लीटर**	**आरएसपी में %**
कर और डीलर कमीशन से पहले का मूल्य	**54.13**	**57.11%**	**54.94**	**62.67%**
सीमा शुल्क	0.95		1.07	
उत्पाद शुल्क	19.90		15.80	
कुल केन्द्रीय कर	**20.85**	**22.00%**	**16.87**	**19.25%**
ग्राहक से लिया गया मूल्य - डिपो मूल्य	74.98		71.81	
वैट (डीलर कमीशन पर वैट सहित)	15.40		12.83	
कुल राज्य कर	**15.40**	**16.25%**	**12.83**	**14.63%**
कुल कर	**36.25**	**38.25%**	**29.70**	**33.88%**
डीलर कमीशन	4.39	4.64%	3.02	3.45%
आरएसपी प्रति लीटर (पूर्णांकित किया गया)	**94.77**	**100.00%**	**87.67**	**100.00%**

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप घरेलू तौर पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य कम होकर क्रमश: 94.77 रुपए और 87.67 रुपए प्रति लीटर (दिल्ली मूल्य) हुए हैं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दो बार नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की, जिसका लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दे दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरें कम कर दी। मार्च, 2024 में, ओएमसीज ने पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की।

हाल ही में पीएसयू-ओएससीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इसमें राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी के रूप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्युब्रिकेट्स (पीओएल) डिपो से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम कर दिया है।

सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से बचाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल थे।

भारत, दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां हाल के वर्षों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी आई है। नवंबर 2021 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में होने वाले बदलाव निम्नवत हैं:

	नवंबर-21 और दिसंबर-24 के बीच मूल्यों में परिवर्तन का प्रतिशत	
देश	**पेट्रोल**	**डीजल**
भारत (दिल्ली)	-13.60%	-10.92%
फ्रांस	11.07%	10.99%
जर्मनी	3.40%	6.86%
इटली	5.21%	7.38%
स्पेन	5.14%	8.58%
यूके	0.17%	2.22%
कनाडा	5.55%	15.06%
यूएसए	1.36%	6.90%

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

नवंबर 2021 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बदलाव

	नवंबर-21 और दिसंबर-24 के बीच मूल्यों में परिवर्तन की प्रतिशतता	
देश	**पेट्रोल**	**डीजल**
भारत (दिल्ली)	-13.60%	-10.92%
पाकिस्तान	27.90%	33.37%
बांग्लादेश	12.62%	29.31%
श्रीलंका	54.29%	98.59%
नेपाल	20.06%	31.64%

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

*****

अनुलग्नक

""पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और कराधान में असामनता" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1574 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 07.02.2025 की स्थिति के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर वैट/बिक्री कर के ब्यौरे

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पेट्रोल	डीजल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1%	1%
आंध्र प्रदेश	31% वैट + 4 रु. /लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट	22.25% वैट+ 4 रु./लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट
अरुणाचल प्रदेश	14.50%	7.00%
असम	24.77% या 18.80 रु.प्रति लीटर जो भी अधिक हो	22.19% या 14.60 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो 14.60 रु. प्रति लीटर न्यूनतम के कर के अधीन 1.50 रु.प्रति लीटर की छूट
बिहार	23.58% या 16.65 रु./लीटर जो भी अधिक हो (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	16.37% या 12.33 रु./लीटर जो भी अधिक हो (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
चंडीगढ़	10 रु./केएल उप कर+15.24% या 12.42 रु./लीटर जो भी अधिक हो	10 रु./केएल उप कर+6.66% या 5.07 रु. /लीटर जो भी अधिक हो
छत्तीसगढ़	24% वैट + 2 रु./ लीटर वैट	23% वैट + 1 रु./लीटर वैट
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	12.75% वैट	13.50% वैट
दिल्ली	19.40% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
गोवा	21.5% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	17.5% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
गुजरात	13.7% वैट + टाउन रेट पर 4% उप कर और वैट	14.9% वैट + टाउन रेट पर 4% उप कर और वैट
हरियाणा	18.20% या 14.50 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16.00% वैट या 11.86 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
हिमाचल प्रदेश	17.5% या 13.50रु. / लीटर - जो भी अधिक हो	13.90% या 10.40 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो
जम्मू और कश्मीर	24% एमएसटी + 2 रु. / लीटर रोजगार उप कर, 4.50 रु. / लीटर की छूट	16% एमएसटी + 1.00 रु./लीटर रोजगार उप कर, 6.50 रु. /लीटर की छूट
झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या 17.00 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या 12.50 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर
कर्नाटक	29.84% बिक्री कर	18.44% बिक्री कर

केरल	30.08% बिक्री कर + 1 रु. / लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर, सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु. प्रति लीटर	22.76% बिक्री कर + 1रु./ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु प्रति लीटर
लद्दाख	15%एमएसटी+ 5 रु./लीटर रोजगार उप कर, 2.5 रु./लीटर की कमी	6% एमएसटी+ 1 रु./लीटर रोजगार उप कर, 0.50 रु. /लीटर की कमी
लक्षद्वीप	10% वैट	10% वैट
मध्य प्रदेश	29% वैट + 2.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर	19% वैट + 1.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर
महाराष्ट्र- मुम्बई, थाणे एंड नवी मुम्बई	25% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
महाराष्ट्र (अन्य राज्य के अलावा)	25% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
मणिपुर	25% वैट	13.5% वैट
मेघालय	13.50% या 13.50 रु./लीटर- जो भी अधिक हो (0.10 रु./लीटर प्रदूषण अधिभार)	5% या 9.50 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो (0.10 रु. /लीटर प्रदुषण अधिभार)
मिजोरम	18% सामाजिक बुनियादी ढांचा और 2000 रु./केएल सेवा उपकर, 2000 रु./केएल, सड़क रखरखाव उपकर	10% सामाजिक बुनियादी ढांचा और 2000 रु./केएल सेवा उप कर, 2000 रु./केएल, सड़क रखरखाव उप कर
नगालैंड	21.75% वैट या 16.94 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो	17.20% वैट या 12.83 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो
ओडिशा	28% वैट	24% वैट
पुडुचेरी	16.98% वैट	11.22% वैट
पंजाब	2050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क)+16.58% वैट + 10% अतिरिक्त कर या 14.93रु. /लीटर, जो भी अधिक हो	1050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क)+13.1% वैट + 10% अतिरिक्त कर या 10.94 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो
राजस्थान	29.04 % वैट + 1500 रु./ केएल सड़क विकास उप कर	17.30 % वैट + 1750 रु. / केएल सड़क विकास उप कर
सिक्किम	20% वैट + 4000 रु./ केएल उप कर	10% वैट + 3500 रु./ केएल उप कर
तमिलनाडु	13% + 11.52 रु.प्रति लीटर	11% + 9.62 रु.प्रति लीटर
तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
त्रिपुरा	17.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर	10.00% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर
उत्तर प्रदेश	19.36% या 14.85 रु./ लीटर जो भी अधिक हो	17.08% या 10.41 रु./ लीटर जो भी अधिक हो
उत्तराखंड	16.97% या 13.14 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.15% या 10.41 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो
पश्चिम बंगाल	25% या 13.12 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर – छूट (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर)	17% या 7.70 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर)

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

***